सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

जिल्द 78 श्रावण 29, गुरुवार, शाके 1948– अगस्त 20, 2026 अंक 21
Vol. 78 Sravana 29 , Thursday, Saka 1948 –August 20, 2026 No. 21

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम / उपनाम / सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

(नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एफ. 1/12/एफ.डी.ई.आर.–187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में)

इस बन्ध पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता गजेन्द्र सिंह / (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व श्री गजेन्द्र हरिजन (पुराना नाम) कहलाता था / कहलाती थी एवं जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (स्थान जहाँ राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था / थी, एतद्द्वाराः–

1. स्वयं तथा मेरे मेरे पति / पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हो मेरे पूर्व नाम श्री गजेन्द्र हरिजन उपनाम (सिर्फ) को त्यागता / त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम श्री गजेन्द्र हरिजन तथा उपनाम ग्रहण करता / करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे ही पत्नी बच्चे दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम श्री गजेन्द्र हरिजन (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम द्वारा जाने जाए।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता / करती हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी, समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम श्री गजेन्द्र हरिजन तथा उपनाम (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में श्री गजेन्द्र सिंह नाम के रूप में तथा उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा / करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा / करूंगी।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे मेरी पत्नी / पति मेरे बच्चे दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम श्री गजेन्द्र सिंह उपनाम के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता / करती हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम श्री गजेन्द्र हरिजन तथा गजेन्द्र सिंह का वर्णन किया है तथा दिनांक 11–06–2026 को हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा जो पूर्व में श्री गजेन्द्र हरिजन कहलाता था / कहलाती थी हस्ताक्षर किये है।

साक्षी :–

1. बाबूलाल मेघवाल, पद–सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, टीएडी, उदयपुर।
2. कुलवेन्द्र सिंह कुशवाह, पद : वरिष्ठ सहायक, कार्यालय आयुक्त, टीएडी, उदयपुर।

गजेन्द्र सिंह
हस्ताक्षर
(नया नाम) – गजेन्द्र सिंह
(पुराना नाम)– गजेन्द्र हरिजन

प्रतिहस्ताक्षर
अनिल कुमार शर्मा
11.06.2026
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

16395

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।